me.next... कॅरियर की उड़ान

**कौनसा कॅरियर चुनें,** कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आदि सवालों का जवाब यदि आप तलाश रहे हैं, तो नीचे दिए गए वॉट्सऐप नंबर पर हमें मैसेज करें। हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन। सवाल के साथ अपनी रुचि एवं योग्यता के बारे में अवश्य लिखें।

पत्रिका career परामर्श

वॉट्सऐप नंबर 9057531584



सरकारी नौकरी

# UPSSSC ने असिस्टेंट मैनेजर के 2285 पदों पर मांगे आवेदन

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लोअर PCS परीक्षा के तहत असिस्टेंट मैनेजर सहित कुल 2285 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू होगी और 18 जून 2026 तक चलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है।

## शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को पीईटी 2025 (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) पास होना जरूरी है। बिना पीईटी स्कोर के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

## कितनी है सैलरी

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 से लेवल 7 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 4 की सैलरी लगभग 25,500 रुपए से शुरू होती है, जबकि लेवल 7 की सैलरी लगभग 44,900 रुपए से शुरू होती है। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।

**चयन ऐसे होगा**

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी। इसके बाद मेन्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेन्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

**आवेदन प्रक्रिया**

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, पीईटी स्कोर, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

एडमिशन

# केंद्रीय स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया के बाद अब क्या होगा?

## फीस की प्रक्रिया

दस्तावेज सत्यापन के बाद एडमिशन फीस जमा करनी होती है। केंद्रीय विद्यालयों में फीस कम होती है। कुछ वर्गों जैसे SC, ST और बालिकाओं को फीस में छूट दी जाती है। फीस ऑनलाइन जमा कराएं।

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद चयनित छात्रों के अभिभावकों को सबसे पहले संबंधित स्कूल में एडमिशन कंफर्म करना होता है। इसके लिए तय समय सीमा के अंदर स्कूल जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। अगर समय पर एडमिशन कंफर्म नहीं किया गया, तो सीट वेटिंग लिस्ट वाले छात्र को दे दी जाती है।

## जरूरी दस्तावेज

एडमिशन कंफर्म करते समय अभिभावकों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), सर्विस सर्टिफिकेट (सरकारी कर्मचारी के बच्चों के लिए) और कैटेगरी सर्टिफिकेट शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों ले जाना जरूरी होता है।

## वेटिंग लिस्ट

जिन छात्रों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता, उन्हें वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई चयनित छात्र एडमिशन नहीं लेता है, तो वेटिंग लिस्ट के अनुसार सीट मिलती है। स्कूल की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड चेक करते रहना चाहिए।

## स्कूल की टाइमिंग

एडमिशन कंफर्म होने के बाद यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल टाइमिंग की जानकारी ले लें ताकि सत्र शुरू होने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कॅरियर नॉलेज

# राजनीति विज्ञान में स्नातक कर बना सकते हैं अच्छा कॅरियर

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

राजनीति विज्ञान (Political Science) एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार, संविधान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक प्रशासन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह विषय समाज, राजनीति और नीतियों को समझने की गहरी समझ विकसित करता है, जिससे छात्र प्रशासनिक, शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में कॅरियर बना सकते हैं।

## कॅरियर विकल्प

राजनीतिक विज्ञान में स्नातक करने के बाद कई कॅरियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। छात्र सिविल सेवा, राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षण, शोध, पब्लिक रिलेशन, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में काम कर सकते हैं। UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह विषय बहुत उपयोगी माना जाता है।

## उच्च शिक्षा के अवसर

स्नातक के बाद छात्र Political Science, Public Administration, International Relations, Law, Journalism आदि में परास्नातक कर सकते हैं। इसके अलावा LLB, MBA, Mass Communication जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी अच्छे कॅरियर के अवसर प्रदान करते हैं।

## आवश्यक कौशल

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए छात्रों में विश्लेषण क्षमता, लेखन कौशल, तर्क क्षमता, संचार कौशल, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं की समझ होना बहुत जरूरी है।

## एग्जाम गाइड

**1. राजस्थान में भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित किया?**
(अ) 1949 (ब) 1947 (स) 1952 (द) 1956

**2. निम्न में से वह कुषाण नेता कौन था, जो बौद्ध बन गया था?**
(अ) कुजुल कडफिसस (ब) विम कडफिसस
(स) कनिष्क (द) वशिष्क

**3. महात्मा गांधी ने सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन कहां से आरम्भ किया था?**
(अ) साबरमती आश्रम (ब) वर्धा
(स) सेवा ग्राम (द) दाण्डी

**4. कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?**
(अ) लैरी पेज (ब) चार्ल्स बैबेज (स) लेडी लारा (द) बिल गेट्स

**5. भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत-यंत्र क्या है?**
(अ) बांसुरी (ब) वीणा (स) तबला (द) सितार

उत्तरमाला: 1.स 2.स 3.द 4.ब 5.ब

पंचायत और निकाय स्तर पर नहीं हो रहा प्रभावी प्रचार-प्रसार

# कागजों में सिमटी श्रमिक कल्याण योजनाएं, लाभ सिर्फ दो योजनाओं तक ही रहा सीमित

पत्रिका डेटा डीकोडेड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**अनूपपुर.** जिले में श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय पर इन योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी है लेकिन ज्यादातर योजनाओं की जानकारी के लिए यहां ना तो कोई प्रचार प्रसार सामग्री लगाई गई है और ना ही कर्मचारियों को ही इसकी ज्यादा जानकारी है। ऐसे में योजना श्रमिकों की जानकारी में न होने से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

**सिर्फ 2 योजनाओं तक सीमित कार्यवाही**

अनूपपुर जिले में संबल योजना अंतर्गत 42 हजार 56 हितग्राही पंजीकृत हैं। वहीं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 63 श्रमिक पंजीकृत हैं। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए कई प्रकार की सहायता और सुविधाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश श्रमिक इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वर्तमान में श्रमिकों को मुख्य रूप से अंत्येष्टि सहायता योजना और अनुग्रह सहायता योजना का ही लाभ मिल पा रहा है। अन्य योजनाओं के लिए विभाग के पास न तो पर्याप्त आवेदन पहुंच रहे हैं और न ही लाभ वितरण की स्थिति बन पा रही है। पंचायत स्तर पर शिविर, सूचना पत्रक वितरण, मोबाइल वैन या श्रमिक पंजीयन अभियान चलाए जाएं तो बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकते हैं।

## यह है श्रमिक योजनाएं

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा वर्तमान समय में विवाह सहायता योजना, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना, साइकिल अनुदान योजना, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार आवास योजना, औजार उपकरण खरीदी अनुदान योजना प्रसूति सहायता योजना, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सुपर पांच हजार योजना, लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना, निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना क्या संचालन किया जा रहा है।

## अब तक इन योजनाओं में इतने को मिला लाभ

संबल योजना के अंतर्गत जिले में अंत्येष्टि सहायता योजना में 832 हितग्राहियों, अनुग्रह सहायता योजना सामान्य मृत्यु पर 1007 हितग्राहियों, अनुग्रह सहायता योजना दुर्घटना मृत्यु पर 90 हितग्राहियों एवं मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता योजना में पांच अनुग्रह सहायता योजना सामान्य मृत्यु में 16 एवं अनुग्रह सहायता योजना दुर्घटना मृत्यु पर चार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस तरह विभाग की तीन योजनाओं के अंतर्गत 1954 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है।

## न तो निकाय को जानकारी और ना ही श्रमिकों को

शासन स्तर पर श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र में इन योजनाओं से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं होने के कारण श्रमिक इससे वंचित हो रहे हैं।

कर्मचारी को भी ना तो कभी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ना ही बैठक का आयोजन कर संबंधित निकाय जिला पंचायत को इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

| निकाय/जनपद | पंजीकृत श्रमिक |
|---|---|
| पुष्पराजगढ़ | 11355 |
| अनूपपुर | 8569 |
| जैतहरी | 9794 |
| कोतमा | 3370 |
| नपा पसान | 1351 |
| नपा कोतमा | 1312 |
| नपा अनूपपुर | 1004 |
| नपा बिजुरी | 1418 |
| नप डूमरकछार | 704 |
| नप बनगवां | 756 |
| नप बरगवां | 1193 |
| नप डोला | 552 |
| नपा अमरकंटक | 329 |
| नपा जैतहरी | 349 |

इस संबंध में ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय क्षेत्र स्तर पर योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के निर्देश देते हुए प्रचार प्रसार के लिए पंचायत एवं नगर पालिकाओं में इसके सूचना बोर्ड चस्पा कराए जाएंगे।

**हर्षल पंचोली,** कलेक्टर अनूपपुर

# कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण

**अनूपपुर @ पत्रिका.** जनपद जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बलबहरा में पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार देवदत्त राठौर के घर से दावनदाई मढ़िया पहुंच मार्ग मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस मार्ग के लिए भूमि स्वामियों द्वारा पूर्व में निजी भूमि से 12 फीट चौड़ी जगह देने शपथ पत्र भी दिया गया था। आरोप है कि उक्त मार्ग के कुछ हिस्से पर संबंधित व्यक्ति द्वारा गेट लगाकर तथा बाउंड्रीवाल निर्माण कर अवरोध उत्पन्न किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण बैलगाड़ी व ट्रैक्टर की आवाजाही बाधित हो गई है, जिससे किसानों को खेत से फसल लाने-ले जाने में कठिनाई हो रही है। साथ ही आम आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग से शीघ्र अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुचारू कराया जाए।

सीएमओ एवं उपयंत्रियों को गाइडलाइन का पालन कराने कहा

# बिना अनुमति भवन निर्माण कराने पर होगी कार्रवाई, मॉनीटरिंग के दिए निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**अनूपपुर.** जिले में हालिया भवन निर्माण संबंधी घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित बिल्डिंग डेवलपमेंट रूल्स के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति के नए भवन निर्माण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को नए निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं उपयंत्रियों को शासन की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा।

साप

## सात दिन में प्राप्त करें प्रमाणपत्र

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 7 दिवस के भीतर अभियान चलाकर सभी भूमि स्वामियों से बिल्डिंग डेवलपमेंट रूल्स के पालन संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करें। सुरक्षा मानकों की अनदेखी वाले निर्माण कार्यों का चिह्नांकन कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिले के जर्जर व असुरक्षित भवनों को चिह्नित कर शीघ्र ध्वस्त कराने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

# चारागाह व पंचायत कार्यों में अनियमितता के लगाए आरोप

**बदरा जमुना.** जनपद पंचायत क्षेत्र में गौशाला चारागाह निर्माण एवं पंचायत संचालन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार गौशाला चारागाह सिद्धबाबा प्यारी क्रमांक 1 के नाम पर 4 लाख 32 हजार 180 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आरोप है कि मौके पर चारागाह का कार्य नजर नहीं आता जबकि विभागीय अभिलेखों में कार्य पूर्ण दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। दूसरा मामला पंचायत सचिव पर नियमों की अनदेखी का है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित न करने तथा पंचायत कार्यों में पारदर्शिता न बरतने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कुछ बिलों का भौतिक सत्यापन किए बिना भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मामले पर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

# कोतमा हादसे के बाद सांसद ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

**अनूपपुर @ पत्रिका.** कोतमा नगर में हुए हादसे के बाद शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और जांच संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घटना की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं। निरीक्षण के उपरांत सांसद हिमाद्री सिंह ने हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है।

# तुलरा व चरकूमर के जंगलों में ठहरे हाथी, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान

**अनूपपुर @ पत्रिका.** छत्तीसगढ़ से आए तीन हाथियों का दल वन परिक्षेत्र राजेंद्रग्राम के तुलरा बीट अंतर्गत जंगल में लगातार पांचवें दिन विश्राम कर रहा है। दिन में जंगल में ठहरने के बाद हाथी शाम और रात के समय ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर वे पुनः जंगल की ओर लौट जाते हैं। हाथियों ने तुलरा निवासी दिलेर सिंह के खेत में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं सोमवार रात यादवेंद्र दीक्षित के खेत में लगी गेहूं की फसल को हाथियों ने अपना आहार बनाया। मंगलवार सुबह तीनों हाथी तुलरा एवं चरकूमर गांव के बीच स्थित जंगल में विश्राम करते देखे गए।

तीन हाथियों का यह समूह ने लगभग 106 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र से अनूपपुर जिले में प्रवेश किया था। इसके बाद यह दल अनूपपुर, जैतहरी होते हुए शहडोल जिले के बुढ़ार वन परिक्षेत्र तक गया और फिर वापस अहिरगवां क्षेत्र से होते हुए डिंडौरी जिले में छह दिन विचरण कर पुनः अनूपपुर के राजेंद्रग्राम वन क्षेत्र में पहुंचा है।

## एक नर हाथी लापता, विभाग सतर्क

3 अप्रेल की देर रात छत्तीसगढ़ के मरवाही वन क्षेत्र से एक अकेला नर हाथी भी अनूपपुर जिले में प्रवेश किया था। यह हाथी चोलना और धनगवां बीट से होता हुआ कोतमा वन परिक्षेत्र के कोलमी गांव के पास तक पहुंचा। वहां से वह अनूपपुर वन परिक्षेत्र के भोलगढ़ और पोंडी बीट के जंगलों में विचरण करता रहा। सोमवार की सुबह पोंडी गांव के समीप सांधा तिराहा के पास उसने राज्यमार्ग पार किया तथा नए प्लांटेशन क्षेत्र में लकड़ी के खंभे और तार तोड़ दिए। सोमवार की शाम से मंगलवार की दोपहर तक उसके विचरण की कोई सूचना नहीं मिलने से वन विभाग चिंतित है जिसकी सघन तलाश की जा रही है।

# विश्वविद्यालय में गुणवत्ताहीन भोजन देने पर सांसद से की शिकायत

**अनूपपुर @ पत्रिका.** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के छात्रावास में छात्राओं को कथित रूप से घटिया एवं गुणवत्ता-विहीन भोजन परोसे जाने पर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने सांसद से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की।

शिकायत के बाद सांसद हिमाद्री सिंह ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने सांसद को अवगत कराया कि मेस में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। भोजन में कीड़े-मकोड़े मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे छात्राएं भोजन करने में असहज महसूस कर रही हैं। छात्राओं ने बताया कि पूर्व में शिकायत करने के बाद भी मेस संचालक ने इस पर कोई सुधार नहीं किया।

सांसद हिमाद्री सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात कर छात्राओं को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मेस संचालक द्वारा मानकों के विपरीत भोजन परोसा जा रहा है तो उसका टेंडर तत्काल निरस्त कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, मंडल कार्यालय, 1227, शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) Email - cs8243@pnb.bank.in

**अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

**ई-नीलामी दिनांक एवं समय -28.04.2026 दोपहर 12:00 बजे से 05:30 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:30 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 28.04.2026 को सायंकाल 05:30 बजे तक**

**निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 10000/- (रूपए दस हज़ार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे**

| उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम | अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण | अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार) | अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि |
|---|---|---|---|
| **1. शाखा : डिंडोरी (म.प्र.)**<br>**1. (उधारकर्ता) आदर्श सर्व विद्या शिक्षा समिति (मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत) इसके पदाधिकारियों/सदस्यों के माध्यम से** पता: 156/1, ग्राम छिरहटी, पोस्ट-राजेंद्रनगर, तहसील - सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.))-484110<br>**2. (अध्यक्ष एवं जमानतदार) श्रीमती उपमा पांडे पति श्री शिव दयाल पांडे** पता: मकान नं. 156/1, ग्राम छिरहटी, राजेंद्रनगर कॉलोनी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**3. (उपाध्यक्ष एवं जमानतदार) श्रीमती कमला पांडे पति श्री शंकर दयाल पांडे** पता: मकान नंबर 156/1, ग्राम छिरहटी, राजेंद्रनगर कॉलोनी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**4. (सचिव एवं जमानतदार) श्रीमती रितिका बिलैया पति श्री अनुराग बिलैया** पता: मकान नंबर 71/2, वार्ड नंबर 04, बाजार चौक, डिंडोरी (म.प्र.) - 481880<br>**5. (कोषाध्यक्ष, जमानतदार एवं बंधककर्ता) श्री अनुराग बिलैया पिता श्री बद्री प्रसाद बिलैया** पता: मकान नंबर 71/2, वार्ड नंबर 04, बाजार चौक, डिंडोरी (म.प्र.) - 481880<br>**6. (संयुक्त सचिव एवं जमानतदार) श्रीमती मोनिका पांडे पिता श्री शंकर दयाल पांडे** पता: मकान नं. 156/1, ग्राम छिरहटी, राजेंद्र नगर कॉलोनी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**7. (सदस्य एवं जमानतदार) कुमारी शिखा पांडे पिता श्री शिव दयाल पांडे** पता: मकान नंबर 156/1, ग्राम छिरहटी, राजेंद्रनगर कॉलोनी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**8. (सदस्य एवं जमानतदार) श्री अंकित नीखरा पिता श्री विनोद नीखरा** पता: 164, ग्राम - पलोहा बड़ा, तहसील - गाडरवारा, कौडिया, जिला. - नरसिंगपुर (म.प्र.) - 487555<br>**9. (जमानतदार एवं बंधककर्ता) श्री शंकर दयाल पांडे पिता श्री त्रिवेणीधर पांडे** पता: मकान नंबर 156/1, ग्राम छिरहटी, राजेंद्रनगर कॉलोनी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**10. (जमानतदार एवं बंधककर्ता) श्री नरेंद्र तिवारी पिता श्री कृष्ण कुमार तिवारी** पता 1: 99/2, धनपुरी, वार्ड नंबर 1, तहसील - सोहागपुर, जिला - शहडोल, (म.प्र.)-484114 पता 2: वार्ड क्रमांक 1, हीरा कॉलोनी, बुढ़ार, धनपुरी जिला. - शहडोल (म.प्र.)-484110<br>**11. (जमानतदार एवं बंधककर्ता) श्री शिव दयाल पाण्डेय पिता श्री त्रिवेणीधर पाण्डेय** पता: मकान नं.156/1, ग्राम छिरहटी, राजेन्द्र नगर कॉलोनी, तहसील - सोहागपुर, जिला - शहडोल (म.प्र.) - 484110<br>**12. (जमानतदारऔर बंधककर्ता) श्री बद्री प्रसाद बिल्लैया पिता श्री सीताराम बिल्लैया** पता: एच. नं. 71/2, वार्ड नं. 04, बाजार चौक, डिंडोरी (म.प्र.) - 481880<br>**खाता नं. 642100NF00000018, 642100RF00000014 and 642100EG00000014**<br>**DRT SA No. 770/2024** | 1. अचल संपत्ति के समस्त भू भाग, अंश व निर्माण सहित जो मौजा - छिरहटी पर स्थित, पीसी नंबर 33, आरआई सर्कल खैराहा, तहसील - बुढ़ार, जिला - शहडोल (म.प्र.), खसरा नंबर 755 क्षेत्रफल 0.032 हेक्टेयर, खसरा नंबर 756 क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, खसरा नंबर 757 क्षेत्रफल 0.364 हेक्टेयर, खसरा नंबर 758 क्षेत्रफल 1.141 हेक्टेयर, खसरा नंबर 759 क्षेत्रफल 0.567 हेक्टेयर और खसरा नंबर 760 क्षेत्रफल 0.044 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल - 2.957 हेक्टेयर, दिनांक 10.09.2018 के डायवर्सन आदेश के तहत शैक्षिक उद्देश्य के लिए डायवर्ट किया गया और जो दिनांक 27.07.2018 के पंजीकृत उपहार विलेख के अनुसार निम्नानुसार है - **चतुर्सीमा : पूर्व** - रोड़, **पश्चिम** - मानवती पति जीवन की भूमि, **उत्तर** - वन विभाग की भूमि, **दक्षिण** - वन विभाग की भूमि, **मालिक और बंधककर्ता** : आदर्श सर्व विद्या शिक्षा समिति जिसका प्रतिनिधित्व कोषाध्यक्ष श्री अनुराग बिलैया पिता श्री बद्री प्रसाद बिलैया, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB642100755** | अ) 01.03.2024<br>ब) 31.05.2024 & 01.06.2024<br>स) सांकेतिक आधिपत्य<br>द) रू. 7,86,08,739.32 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय | A) 58,50,000.00<br>B) 5,85,000.00<br>C) 28.04.2026<br>D) 10,000.00 |
| | 2. व्यावसायिक परिवर्तित अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश जो मौजा सुब्खर माल पर स्थित, पीसी नंबर 68, तहसील और जिला डिंडोरी (म.प्र.), खसरा नंबर 171/16, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 08.01.2020 के अनुसार और जो निम्नानुसार है - **चतुर्सीमा : पूर्व** - यादव जी का प्लॉट, **पश्चिम** - बद्री प्रसाद जी के प्लॉट से होकर जाने वाली रोड़, **उत्तर** - बी प्रसाद जी का प्लॉट, **दक्षिण** - बद्री प्रसाद जी का प्लॉट, **मालिक और बंधककर्ता** : श्री अनुराग बिलैया पिता श्री बद्री प्रसाद बिलैया,<br>**और**<br>3. व्यावसायिक परिवर्तित अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश जो मौजा सुब्खर मल पर स्थित, पीसी नंबर 68, आरआई सर्कल - डिंडोरी, तहसील और जिला डिंडोरी (म.प्र.), खसरा नंबर 166/4 क्षेत्रफल 0.696 हेक्टेयर, पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 08.01.2020 के अनुसार निम्नानुसार है - **चतुर्सीमा : पूर्व** - अनुराग बिल्लैया का खुला प्लॉट, **पश्चिम** - बाईपास रोड, **उत्तर** - नंद कुमार का खुला प्लॉट, **दक्षिण** - बद्री प्रसाद जी का खुला प्लॉट, **मालिक और बंधककर्ता** : श्री बद्री प्रसाद बिल्लैया पिता श्री सीताराम बिल्लैया, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB642100171** | | A) 3,23,59,000.00<br>B) 32,35,900.00<br>C) 28.04.2026<br>D) 10,000.00 |
| | 4. तीन मंजिला आवासीय मकान के समस्त भू भाग व अंश जो मौजा - धनपुरी पर स्थित, नगरपालिका - धनपुरी, जे.नं.474, पीएच नं.98, वार्ड नं. 01. आर.एन.एम.-बुरहार, तहसील - सोहागपुर, जिला - शहडोल (म.प्र.), खसरा नं. 135/3/ग/12, क्षेत्रफल 3580 वर्ग फुट, पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 08.01.2020 के अनुसार निम्नानुसार घिरा हुआ है, **चतुर्सीमा : पूर्व** -मार्ग/रोड, **पश्चिम** - श्रीमती कुसुम सोनी की भूमि, **उत्तर** - विवेक पांडे की भूमि, **दक्षिण** - सुनील गुप्ता की भूमि, **मालिक और बंधककर्ता** : श्री नरेंद्र तिवारी पिता श्री कृष्ण कुमार तिवारी, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB642100135** | | A) 85,38,750.00<br>B) 8,53,875.00<br>C) 28.04.2026<br>D) 10,000.00 |
| | 5. आवासीय मकान के समस्त भू भाग व अंश खसरा नंबर 600 क्षेत्रफल 0.142 हेक्टेयर, जिसमे से 0.040 हेक्टेयर आवासीय रूप से परिवर्तित जो मौजा छिरहटी पर स्थित, तहसील - बुरहार, जिला शहडोल (म.प्र.), पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 08.01.2020 के अनुसार निम्नानुसार है, **चतुर्सीमा : पूर्व** -शंकर दयाल पांडे की संपत्ति, **पश्चिम** -रोड, **उत्तर** - सुनील गुप्ता का मकान, **दक्षिण** - महेंद्र पांडे का मकान, **मालिक और बंधककर्ता** : श्री शंकर दयाल पांडे पिता श्री त्रिवेणीधर पांडे, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB642100600** | | A) 1,09,30,500.00<br>B) 10,93,050.00<br>C) 28.04.2026<br>D) 10,000.00 |
| | 6. व्यावसायिक परिवर्तित अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश खसरा नंबर 60/2 क्षेत्रफल 1.421 हेक्टेयर, जो मौजा छिरहटी पर स्थित, पीसी नंबर 33, आरआई सर्कल खैरहा, तहसील - बुरहार, जिला शहडोल (म.प्र.), पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 08.01.2020 के अनुसार निम्नानुसार है - **चतुर्सीमा : पूर्व** - लखन मिश्रा की भूमि, **पश्चिम** - खिरहा माइंस रोड, **उत्तर** - महेंद्र पांडे की जमीन, **दक्षिण** - रामदेश बर्मन की जमीन, **मालिक और बंधककर्ता** : श्री शंकर दयाल पांडे पिता श्री त्रिवेणीधर पांडे और श्री शिव दयाल पांडे पिता श्री त्रिवेणीधर पांडे, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB64210060** | | A) 78,00,705.00<br>B) 7,80,070.50<br>C) 28.04.2026<br>D) 10,000.00 |

**संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है**

**सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना**

**नियम एवं शर्तें : (1)** विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

**स्थानः जबलपुर, दिनांक 08.04.2026** **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**